

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक:—प.15(1)वित्त/नियम/2017 पार्ट

जयपुर, दिनांक:—

10 MAR 2025

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अन्तर्गत वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 द्वारा एमएसीपी योजना के तहत 09, 18 एवं 27 वर्ष की नियमित सेवा पर स्वीकृत किये जाने वाले वित्तीय उन्नयन का प्रावधान दिनांक 01.04.2023 से लागू किया गया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में किसी पद के लिये स्वीकृत पे-लेवल में दिनांक 01.04.2023 के पश्चात संशोधन हो जाने के फलस्वरूप एमएसीपी योजना के तहत देय वित्तीय उन्नयन के पे-लेवल में उक्त संशोधन होने की दिनांक को प्राप्त अन्तिम एमएसीपी के पे-लेवल में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14(3) एवं 14(5) के प्रावधानों के अधधीन संशोधित किया जायेगा। उक्त संशोधन निम्नानुसार किया जायेगा।

- एकाकी पद के लिये निर्धारित पे-लेवल संशोधित हो जाने पर एकाकी पद के कार्मिकों को 9, 18 व 27 वर्ष की नियमित सेवा पर पूर्व में स्वीकृत अन्तिम एसीपी/एमएसीपी पे-लेवल (जैसी भी स्थिति हो) को दिनांक 01.04.2023 के पश्चात संशोधित पे-लेवल के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14(5) में वर्णित तालिका के अनुसार संशोधित पे-लेवल देय होगा किन्तु नियम 21 के प्रावधान के अनुसार अन्तिम स्वीकृत एमएसीपी पे-लेवल में वेतन निर्धारण किया जायेगा।

उदाहरणार्थ—

विद्यमान एमएसीपी पे-लेवल				संशोधित एमएसीपी पे-लेवल			
पद का विद्यमान पे लेवल	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	पद का संशोधित पे लेवल	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
एल-1	एल-2	एल-3	एल-4	एल-2	एल-3	एल-4	एल-5
एल-2	एल-3	एल-4	एल-5	एल-3	एल-4	एल-5	एल-8
एल-3	एल-4	एल-5	एल-8	एल-5	एल-8	एल-10	एल-11

- किसी सेवा/संवर्ग के प्रारम्भिक पद के लिए निर्धारित पे-लेवल संशोधित हो जाने पर एमएसीपी योजना के तहत 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने (जैसी भी स्थिति हो) पर पूर्व में स्वीकृत एमएसीपी के पे-लेवल भी यदि संशोधित किया जाना अपेक्षित हैं, तो राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14(3) एवं 14(5) के प्रावधानों के अनुसार केवल एमएसीपी के पे-लेवल पुनः निर्धारित करते हुए अन्तिम

स्वीकृत एमएसीपी पे-लेवल में नियम 21 के प्रावधान के अनुसार वेतन निर्धारित किया जायेगा।

3. किसी सेवा/संवर्ग के पदोन्नति पद/पदों के पे-लेवल संशोधित किये गए हैं तो ऐसी सेवा/संवर्ग के विद्यमान कार्मिकों को 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने (जैसी भी स्थिति हो) में पूर्व में स्वीकृत पे-लेवल भी संशोधित किये जाने यदि अपेक्षित हैं तो राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के एमएसीपी पे-लेवल नियम 14(3) एवं 14(5) के प्रावधानों के अनुसार केवल एमएसीपी के पे-लेवल पुनः निर्धारित करते हुए अन्तिम स्वीकृत एमएसीपी पे-लेवल में नियम 21 के प्रावधान के अनुसार वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(देबाशीष पृष्ठी)
प्रमुख शासन सचिव,
वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

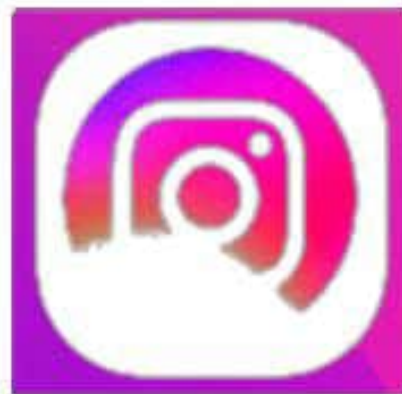
1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
10. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी।
12. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
13. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) विभाग।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल)।
15. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

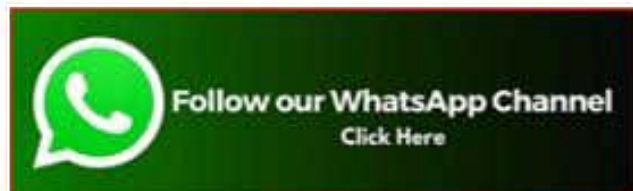
1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव-।

(RCS(RP)2017 - /2025)



शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एवं फेसबुक चैनल से जुड़े।



जुड़ने के लिए ऊपर दिए गए आइकॉन पर क्लिक करें।